पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़।

(अल्पावधि निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07 / 15-16)

1. विज्ञापन दाता का नाम :- पुलिस अधीक्षक, रामगढ़
2. निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि :- दिनांक 21.08.2015 अपराह्न 15:00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि :- दिनांक 24.08.2015 अपराह्न 15:00 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक 26.08.2015 अपराह्न 15:00 बजे ।
5. निविदा प्राप्त एवं खोलने का स्थान :- पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रामगढ़।

निविदा सूचना

रामगढ़ जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए SRE योजना अन्तर्गत निम्न वाहन भाड़े पर रखने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0सं0	गाड़ी का नाम	चालक सहित राशि	चालक रहित राशि
1	407 ट्रक		
2	टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एसी		
3	बोलेरो एसी / नन एसी		
4	सूमो एसी / नन एसी		
5	सवारी		
6	ट्रेक्टर		
7	बाईक 150 सी0सी0 (चालक रहित)		

निविदा की शर्तें

(क) तकनीकी बीड :-

1. वाहन मालिक का चरित्र प्रमाण पत्र।
2. चालक का चरित्र प्रमाण पत्र।
3. निविदा के साथ Rs. 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
4. तकनीकी बीड में निविदा के अन्य शर्तों का एकरारनामा देना होगा।
5. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न (Prev. 2 years) / पैन कार्ड / सर्विस टैक्स एवं नई वाहन के संबंध में Quotation/पुराने वाहन के अद्यतन निबंधन शुल्क / रजिस्ट्रेशन पेपर / इन्श्युरेन्स पेपर की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वितीय बीड :-

1. निर्धारित दर, ईंधन, चालक, रात्रि ठहराव, निबंधन एवं रोड टैक्स रखरखाव आदि सहित होंगे तथा निविदादाताओं को वित्तीय बीड में वाहन का नाम, चालक सहित एवं चालक रहित का दर प्रत्येक माह अंकित कर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के नाम से दिनांक 24.08.2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय (लेखाशाखा) में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. तकनीकी बीड में अन्य शर्तों के साथ सफल निविदादाताओं के वित्तीय बीड पर विचार किया जाएगा।
3. क्रय समिति के समक्ष दर निर्धारित किया जाएगा।
4. निविदा रदद/स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. सफल आवेदन/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
6. आपूर्ति की जानेवाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।
7. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
8. वाहन नियमानुसार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के संबंधित व्यय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किये जाऍंगे।
9. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यावसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार साफ वस्त्र में होना आवश्यक है। वाहन का चालक चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना आवश्यक है।
10. संबंधित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।
11. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्त्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संबंधित विभाग आपूर्तिकर्त्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
12. वाहन का प्रयोग जिला के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
13. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

14. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फार्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

भुगतान की रीति–

1	कार्य की पूर्ति पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार सामान्यतः 30 दिनों के भीतर/पर्याप्त आवंटन उपलब्ध रहने पर किया जाएगा।
2	आयकर नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

1. यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ संतोषजनक नहीं है।

घोषणा–पत्र

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवं शर्तों का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा है। मैं अपनी वाहन दैनिक/मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम..............

प्रधान लिपिक रामगढ़।	परिचारी प्रवर रामगढ़।	पुलिस उपाधीक्षक(मु0) रामगढ़।	पुलिस अधीक्षक रामगढ़।